159

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निग./भिण्ड/भू.रा./2017/

III/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3591

श्री ब्रजेन्द्र सिंह चौहान
द्वारा आज दि. 28/09/17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 28-9-17

1. रामदेवी पुत्री मन्नुलाल पत्नी बृजमोहन, निवासी ग्राम अखदेवा, तहसील लहार, जिला भिण्ड म0प्र0

2. बिट्टी देवी पुत्री मन्नुलाल पत्नी रामबाबू, निवासी ग्राम विजपुर, तहसील लहार, जिला भिण्ड म0प्र0

--- आवेदिकागण

बनाम

बालिकराम दुबे, निवासी ग्राम बावली, तहसील कॉच, जिला जालौन उ0प्र0 हाल निवासी अखदेवा, तहसील लहार, जिला भिण्ड म0प्र0

--- अनावेदक

CF 4/10/17

ब्रजेन्द्र सिंह चौहान
अभिभाषक
28/9/17

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 के विरूद्ध आदेश दिनांक 13.09.2017 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 27/2016–17/विविध से दुखितः होकर।

श्रीमान जी,

आवेदिकागण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है।

निगरानी के संक्षिप्त तथ्यः–

1– यहकि, अनावेदक बालिकराम (चचेरा भाई) द्वारा फर्जी वसीयत के आधार पर आवेदिकागण के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य के भू–भाग पर न्यायालय नायब तहसीलदार, वृत्त असवार, तहसील लहार, जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 10/2014–15/अ–6 द्वारा नामांतरण चाहा गया है।

2– यहकि, अनावेदक द्वारा उक्त प्रकरण क्रमांक 10/2014–15/अ–6 द्वारा नायब तहसीलदार, वृत्त असवार, तहसील लहार, जिला भिण्ड के यहाँ से स्थानान्तरण करने हेतु न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग लहार, जिला भिण्ड के समक्ष प्रकरण क्रमांक 527/2016–17/बी–12 द्वारा दिनांक 16.06.2017 से प्रकरण का स्थानान्तरण तहसील मिहोना, जिला भिण्ड के लिए करा लिया गया, जिसकी जानकारी होने पर आवेदिकागण द्वारा आपत्ति व वास्तविक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–निगरानी / भिण्ड / भू0रा0 / 2017 / 3591

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
27-10-2017	यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 27/16–17 विविध में पारित आदेश दिनांक 13–9–17 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 13–9–17 के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार वृत्त असवार जिला भिण्ड के न्यायालय में उभय पक्ष के बीच नामांत्रण का प्रकरण कमांक 10/14–15 अ–6 सुनवाई में था, किन्तु अनावेदक की मांग पर अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 13–9–17 से इस प्रकरण को नायव तहसीलदार असवार के न्यायालय से तहसीलदार भिण्ड के न्यायलय में इस प्रत्याशा में अंतरित किया है कि पक्षकारों को नियमानुसार सही न्याय मिल सके। आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 13–9–17 से आवेदकगण किन आधारों पर परिवेदित है आवेदकगण के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके है, जबकि मामला नायव तहसीलदार वृत्त असवार से तहसीलदार भिण्ड के न्यायालय में अंतरित होने पर उभय पक्ष को दावा प्रमाणित करने का अवसर प्राप्त है । आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 13–9–17 में किसी प्रकार की त्रृटि परिलक्षित नहीं है। फलतः निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	